


4-12-19 वकील उमपपत्र उपस्थित पत्रावली का अवलोकन  
किया जाइ अवलोकन पाया कि प्रकरण के सम्बन्ध  
में वाद में राजीनामा होने से वाद पत्र निर्गत  
हो चुका है अतः प्रार्थना- पत्र 212/R.T.I को  
वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर दिनांक  
24-6-2019 को जारी अन्वयार्थ लिखेपत्रों को  
निरस्त किया जाता है पत्रावली नम्बर से  
कफ की जाकर वाद तकनील दायित्व दफ्तर

41

  
(क. स. यादव)

सहायक कलक्टर  
मुख्य न्यायाधीश कार्यालय  
दिल्ली

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

